ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-12* January- 2018
Innovation The Research Concept

भारत विभाजन में सरदार पटेल की भूमिका

प्रताप बहादुर पटेल
अतिथि प्रवक्ता,
राजनीति विज्ञान विभाग,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय,
फाफामऊ, इलाहाबाद

सारांश

भारतीयों को सत्ता सौंपने के विषय में ब्रिटिश प्रधानंत्री एटली ने अस्पष्ट विचार प्रकट करते हुए अपने वक्तव्य में कहा कि ''सम्राट की सरकार यह स्पष्ट करती है कि वह जून 1948 तक समस्त सत्ता का उत्तरदायित्व भारतीयों के हाथों में सौंप देगी। परन्तु यदि संविधान निर्मात्री सभा सभी पार्टियों की सहमति से संविधान बनाकर नयी सरकार गठित नहीं कर लेती तो ब्रिटिश सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि ब्रिटिश भारत में केन्द्रीय सत्ता किसको सौंपी जाय और क्या यह नयी केन्द्रीय सरकार को या कुछ क्षेत्रों में प्रान्तीय सरकारो को या किसी और तरीके से भारतीय जनता के सर्वोच्च हित को दी जाय।''[1] साथ ही बेवेल के स्थान लार्ड माउण्टबेटेन को भारत का वायसराय बनाने की घोषणा की गयी।

प्रधानमंत्री के उपरोक्त वक्तव्य का मुस्लि लीग ने यह अर्थ लगाया कि यदि वह जून, 1948 ई0 तक संविधान निर्मात्री सभा का बहिष्कार करती रहेगी तो ऐसी स्थिति में सरकार विवश होकर सरकार उन प्रान्तों को लीग को सौंप देगी जहाँ मुसलमानों का बहुमत है।

मुख्य शब्द : सरदार पटेल, भारत विभाजन, जिन्ना, पं0 जवाहर लाल नेहरू लार्ड माउण्टवेटन

प्रस्तावना

24 मार्च, 1947 ई0 को लार्ड माउण्ट बेटेन भारत के वायसराय का पद ग्रहण किया और अपनी योजना के अनुसार कहा– ''मैं एकदम घिर आयी वास्तविक समस्या को महसूस करता हूँ। यदि हमने शीघ्रता से काम नहीं किया तो वह गृह युद्ध का रूप ले लेगी। इसके पीछे विभाजन ही बहुत अधिक समाधान कर देगा। मैं कोई दूसरा विकल्प सपने में भी नहीं देखता।''[1] बेटेन ने भारतीय राजनीतिज्ञों के बारे में जो विचार व्यक्त किये वे बड़े रोचक है। उनके अनुसार नेहरू स्पष्टवादिता और औचित्य भावना से प्रभावित थे। वे नेहरू के अच्छे मित्र थे। जबकि सरदार पटेल दृढ़, धीर, स्पष्टवादी, व्यावहारिक और वास्तविकता को मानने वाले थे और नौकरशाही पर विश्वास करते थे। जिन्ना के संबंध में उनका मत था कि जिन्ना का दिमाग तेज था। वह कानूनी बारीकियों को समझते थे। परन्तु वे अभिमानी थे। इस प्रकार उनकी नजर में कांगेस में नेहरू और पटेल ही प्रमुख व्यक्ति थे।

माउण्टबेटेन का विचार था कि यदि सरदार पटेल को अपनी योजना से सहमत कर लिया जाय तो कांग्रेस इस योजना को स्वीकार कर लेगी, अतएव उन्होंने सबसे अधिक विभाजन के बारे में सरदार पटेल को ही समझाने का कार्य किया जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। सरदार पटेल माउण्ट बेटेन योजना से सहमत हो गये। सरदार पटेल का दृष्टिकोण स्पष्ट था। उनके अनुसार ''हमने हिन्दुस्तान के टुकड़े किये जाना कबूल कर लिया है। कई लोग कहते हैं कि ऐसा हमने क्यों किया और यह गलती थी। मैं अभी तक तक नहीं मानता कि हमने कोई गलती की और मैं यह भी मानता हूँ कि यदि हमने हिन्दुस्तान का टुकड़े करना मंजूर नहीं किया होता, जो आज जो हालात हैं उससे भी बरी हालत होने वाली थी और हिन्दुस्तान के दो नही अपितु अनेक टुकड़े होने वाले थे। मेरे सामने यह चित्र है कि हमने किस प्रकार एक वर्ष सरकार चलायी और यदि हमने यह बात कबूल न की होती तो क्या होता? आप इतना विश्वास रखें कि जब मैंने और मेरे भाई नेहरू ने यह विचार किया कि अच्छा है, यदि टुकड़ा जरूर करना है और इसके बिना मुसलमान नहीं मानते तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। कयोंकि हम जब तक परदेशियों को हटा न दें, विदेशी हुकुमत न हटा दें, तब तक दिन प्रतिदिन ऐसी हालात होती जाती थी कि हमें साफ तौर से दिखाई दिया कि हमारे हाथ में हिन्दुस्तान का भविष्य नहीं रहेगा और परिस्थिति काबू से बाहर चली जायेगी। इसलिए हमने सोचा कि अभी दो टुकड़े करने से

काम ठीक हो जाता है तो वैसा कर लें। हमने मान लिया की ठीक है, अपना अलग घर लेकर यदि यह भाई शान्त हो जाता है और अपना घर सम्भाल लेता है तो हम अपना सम्भाल लेंगे। लेकिन हमने यह बात इसी उम्मीद से मानी थी कि हम शान्ति से अपना काम करेंगे तो उसमें हमारी गलती हुई क्या?''[3]

इस प्रकार उपरोक्त परिस्थितियो में सरदार पटेल तथा नेहरू ने सर्वपथम विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार किया। महात्मा गाँधी इससे सहमत नहीं थे। परन्तु जब सरदार पटेल ने उनको समझाया कि यदि दो भाई भी आपस में लड़ पड़ते हैं तो अपना अपना घर लेकर अलग हो जाते हैं, तब गाँधी जी ने सहमति दी। यद्यपि गाँधी जी ने विभाजन रोकने के लिए जिन्ना से कहा था कि वह प्रधानमंत्री बन जायं लेकिन जिन्ना इसके लिए तैयार नहीं हुए, वह सिर्फ विभाजन चाहते थे।

के0एम0 मुंशी ने विभाजन के संबंध में सरदार पटेल की मानसिक स्थिति की चर्चा बड़े सुन्दर ढंग से की है। मुंशी के अनुसार 1947 ई0 में वे और सरदार पटेल बिड़ला भवन नयी दिल्ली में साथ–साथ रहते थे और साथ–साथ टहलने जाते थे। मुंशी के अनुसार सरदार पटेल जो अखंड भारत के समर्थक थे, भारत विजाजन के समर्थक बन गये। मुंशी ने लिखा है कि ''मुझे स्वाभाविक धक्का लगा क्योंकि सदैव राजा जी की विभाजन का समर्थन करने की कड़ी आलोचना करते थे।''[4] पटेल जी ने विभाजन के पक्ष में दो तर्क दिये। प्रथम यह कि कांग्रेस अहिंसा में विश्वास करती है वह हिंसा का मुकाबला नहीं कर सकती। यदि कांग्रेस अपने सिद्धान्त को भी बदल दे तो वर्तमान स्थिति में हिंसा का सहारा लेकर कांग्रेस अपने को समाप्त कर देगी क्योंकि इसका अभिप्राय मुस्लिम लीग से एक लम्बा संघर्ष होगा जबकि ब्रिटिश साम्राज्य अपनी पुलिस और सेना के बल पर शासन कर रहे हैं। पटेल जी ने दूसरा कारण यह बताया कि अगर विभाजन को स्वीकार न किया गया तो शहरो और गाँवों में साम्प्रदायिक झगड़े होंगे और यहाँ तक कि सेना और पुलिस की साम्प्रदायिक आधार पर बँट जायेगी। एक मजबूत संगठन के आभाव में हिन्दओं को नुकसान होगा क्योंकि हिन्दू स्वभाव से उदारवादी होते हैं। जबकि दूसरी तरफ यदि संघर्ष होता है तो वह संगठित सरकारों के द्वारा आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, ''क्योंकि दो सरकारों के बीच समझौता करना पूरे देश में फैले हुए दो सम्प्रदायों के बीच समझौते से आसान है।''[5] इसके अलावा सरदार पटेल विभाजन के अन्य कारणों में मानते थे कि –

1. मुस्लिम लीग से छुटकारा पाने के लिए विभाजन आवश्यक है और
2. सरदार पटेल का विचार था कि स्वतंत्र इकाई के रूप में पाकिस्तान अधिक दिन नहीं टिकेगा। वह थोड़े समय पश्चात पुनः भारतीय संघ में सम्मिलित हो जायेगा और जिन्ना शीघ्र ही उनके साथ आ जायेगें।
3. विभाजन के उपरान्त एक शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना हो सकेगी

विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार न करने वाले लोगों में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद प्रमुख थे। जिन्होंने सरदार पटेल द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर लिखा कि–

''यह इतिहास का एक सत्य है कि हिन्दुस्तान में जो आदमी लार्ड माउण्ट बेटेन का सबसे पहले शिकार हुआ वह सरदार पटेल थे। कार्य परिषद में जो स्थिति पैदा हो गयी थी सरदार उससे बहुत चिढ़ गये थे, वे बँटवारे में विश्वास करने लगे। वित्त विभाग लीग को सौंप देने का दायित्व सरदार का ही था। इसलिए लियाकत के सामने अपनी असहायता का सबसे अधिक रोष उन्हें ही आता था। अतएव माउण्ट बेटेन ने जब विभाजन की योजना सुझायी तो सरदार पटेल के मन में यह बात पक्की हो गयी कि यह लीग के साथ कार्य नहीं कर सकते।''[6]

इस प्रकार विभाजन संबंधी निर्णय को मान्यता प्रदान कने के लिए कांगेस कार्य समिति की बैठक 14 जून, 1947 ई0 को संविधान क्लब में प्रारम्भ हुई। गाँधी जी विशेष निमंत्रण पर अधिवेशन में उपस्थित हुए। आचार्य कृपलानी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभाजन का प्रस्ताव पं0 गोविन्द वल्लभ पंत ने रखा जिसका अनुमोदन मौलाना आजाद ने किया हालांकि वे प्रस्ताव के कट्टर विरोधी थे। प्रदीर्घ साधन बाधक चर्चा के बाद प्रस्ताव 15 जून, 1947 ई0 को 15 के विरूद्ध 157 मतों से पारित कर दिया गया। समिति की बैठक में सरदार पटेल ने कहा ''यदि एक अगूंठा विषपूर्ण हो जाये तो उसे अलग ही कर देना चाहिये अन्यथा सम्पूर्ण शरीर को अत्यधिक हानि उठानी पड़ती है।''[7]

सरदार पटेल को विभाजन का बड़ा दुःख हुआ जिसे उन्होंने स्वयं स्वकार करते हुए कहा कि–

''मैं जीवन भर भारत की एकता के लिए प्रयत्नशील रहा हूँ आप सबको इस प्रस्ताव से जो दुःख हआ है, उससे कम मुझे नहीं हुआ है परन्तु मेरे दिल में यह बात बैठ गयी है कि इस पिछले नौ महीने से देश की शासन व्यवस्था हम लोग चला रहे हैं। इस अरसे में मुझे दुखद अनुभव हुए हैं। मैंने देखा और अनुभव किया कि यदि हम यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे और पिछले नौ मास से देश का शासन जिस तरह चला है, और ब्रिटिश सल्तनत ने जिस तरह उसे चलने दिया है वैसा ही यदि वह अधिक दिनों तक चलता रहा, तो मुझे निश्चित भय है कि समूचा भारत ही पाकिस्तान बन जायेगा।

इसलिए यदि सारे भारत को पाकिस्तान बनने से बचाना हो तो इस प्रस्ताव को स्वीकार करके, देश के विभाजन का खतरा उठाकर भी अंग्रेज सरकार को भारत से हटाने में कुछ हानि नहीं है। इसमें देश का सुख निहित है। भविष्य में बहुत बड़ी बुराइयों को रोकने के लिए इस बुराई को स्वीकार करके अंग्रेजों को इस पाप को भारत से हमें विदा करना चाहिये। इस दृष्टि से मैं दुःख और वेदना से रूदन करने वाले मित्रों से अनुरोध करता हूँ कि इस कड़वे घूँट को पी जायें।''[8]

उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य उन परिस्थितियों की विवेचना करना है जिनके कारण अखण्ड भारत के स्वपनदृष्टा सरदार पटेल लार्ड माउण्ड बेटेन के भारत विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार किया।

विभाजन का क्रियान्वयन

विभाजन की योजना 3 जून, 1947 को स्वीकृति कर ली गयी तो इसको कार्यान्वित करने के लिए दो प्रकार के उपाय आवश्यक थे। प्रथम विधेयक द्वारा इसे कानूनी अधिकार प्रदान करना और द्वितीय विभाजन के प्रशासनिक परिणामों का सामना करना। लॉर्ड माउण्ट बेटेन ने 'विभाजन के प्रशासनिक परिणाम' नामक एक 32 पृष्ठीय दस्तावेज राजनीकि दलों के समक्ष पेश किया तथा इस हेतु एक विभाजन समिति की नियुक्ति की गयी तो 5 जून, 1947 ई0 को विभाजन परिषद में परिवर्तित हो गयी। माउण्ट बेटेन इस परिषद् के अध्यक्ष थे तथा इसमें प्रत्येक डोमिनियन के दो–दो प्रतिनिधि थे। कांग्रेस की ओर से इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद थे। राजगोपालाचारी को वैकल्पिक सदस्य के रूप में रखा गया था तथा मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना और लियाकत अली थे। अब्दुल खनिश्तर को वैकल्पिक सदस्य के रूप में रखा गया था। काम के सुगम बनाने के लिए दो सदस्यीय एक संचाल समिति तथा अधिकारियों की 10 विशेषज्ञ उप समितियाँ भी बनायी गयी। विशेषज्ञ उप समितियों के अधीन प्रशासन का सम्पूर्ण क्षेत्र जैसे–परिसीमन, परिसम्पति एवं दायित्वों का विभाजन, राष्ट्रीय ऋण का विभाजन, संगठन, सेना आदि का विभाजन था। इसके अतिरिक्त एक मध्यस्थ परिषद् बनाई गयी जो उन मामलों पर निर्णय करेगी जो विभाजन परिषद के समक्ष विवादास्पद होंगे।

''विभाजन परिषद् की प्रथम बैठक 27 जून, 1947 ई0 को हुई तथा दूसरी बैठक 30 जून को, तीसरी 5 जुलाई, चौथी 10 जुलाई, पाँचवी 15 जुलाई, छठीं 17 जुलाई, सातवीं 19 जुलाई, आठवीं 22 जुलाई, नवीं 24 जुलाई, दसवीं 26 जुलाई, ग्यारहवीं 29 जुलाई, बारहवीं 31 जुलाई, तेरहवीं 2 अगस्त, चौदवीं 4 अगस्त, पन्द्रहवीं 5 अगस्त और सोलहवीं बैठक विभाजन के पूर्व 6 अगस्त, 1947 में हुई। सरदार पटेल तथा जिन्ना प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहे।''[9] विशेषज्ञ समितियों ने इतनी सद्भावना से कार्य किया कि बहुत ही कम मामले संचालन समिति के पास गये। के0एम0 मुंशी के शब्दों में ''प्रत्यक मामले में पटेल और जिन्ना एक स्वीकार्य फार्मूले पर सहमत हो जाते थे। जब कभी मतभेद होता था तो माउंट बेटेन सुलह के लिए आ जाते थ।''[10]

यद्यपि विभाजन परिषद् ने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझा लिया लेकिन चल अचल सम्पत्ति तथा सेना को लेकर कुछ समस्यायें आयीं। युद्ध के कारण ब्रिटेन अपने पीछे पाँच विलियन डॉलर का ऋण छोड़ गये थे। नकद सम्पत्ति के रूप में स्टेट बैंक में धन तथा सोना था। काफी विवाद के पश्चात् तय हुआ कि पाकिस्तान को 17.5 प्रतिशत नकदी मिलेगी तथा उसी अनुपात में वह ऋण का बोझ अदा करेगा। चल सम्पत्ति का बँटवारा 80 और 20 के अनुपात में हुआ। सरदार पटेल पाकिस्तान को नकदी भुगतान स्थगित करना चाहते थे ताकि काश्मीर युद्ध में पाकिस्तान को कमजोर किया जा सके। परन्तु गाँधी जी के उपवास के कारण यह सम्भव न हो सका। लियाकत अली 6 में से एक मुद्रणालय पाकिस्तान को स्थानान्तरित करवाना चाहते थे जिसका सरदार पटेल ने यह कहकर विरोध किया कि ''किसी ने पाकिस्तान को अलग होने के लिए नहीं कहा। हमें इस बात की चिन्ता नहीं है कि वे अपने साथ सम्पत्ति ले जायं, परन्तु हम भारत की कार्य प्रणाली में इस कारण व्यवधान सहन नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के पास साधन नहीं है।''[11]

सेना का विभाजन एक कठिन कार्य था। भारतीय सेना एक संस्था के रूप में विकसित हुई थी। विभाजन परिषद सेवा का विभाजन 15 अगस्त, 1947 के पूर्व चाहती थी जबकि सेनाध्यक्ष सर क्लाड आचिन लेक इसके विभाजन के पक्ष में नहीं थे। उनके अनुसार सेना जैसे संगठन को विभाजित करना उसको नष्ट करना है। परन्तु माउण्टबेटेन ने विभाजन पर बल दिया। यह कार्य आचिन लेक ने अनिच्छा से किया। विभाजन परिषद की अन्तिम बैठक में सरदार पटेल ने कहा कि ''भारत चाहता है कि पाकिस्तान एक सम्पन्न पड़ोसी के रूप में उभरे। उन्होंने आशा प्रकट की कि विभाजन परिषद के अन्दर वार्तालाप ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत पाकिस्तान के प्रति सद्भावना के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता है।''[12]

दोनों उपनिवेशों के बीच सीमा निश्चित करने के लिए दोनों पक्ष इस पर सहमत हो गये कि पूर्वी और पश्चिमी प्रदेशों के लिए दो आयोग बना दिये जायं। जिसके अध्यक्ष सर सीरियल रैडर्किल्फ हों। बंगाल, और पंजाब प्रान्तों के मध्य भौगोलिक विभाजन की रेखा खीचनें के लिए रैडक्लिफ की नियुक्ति इसलिए की गयी। कि वे इस क्षेत्र से पूर्णतया अनभिज्ञ थे। लॉर्ड माउण्टबेटेन के साथ–साथ नेहरू और जिन्ना ने भी अनभिज्ञ व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किया था। माउण्टबेटेन ने इस नियुक्ति के बारे में कहा कि उन्हें कोई खुशी नहीं हुई क्योंकि वे जानते थे कि यह कार्य बड़ा जटिल है और इसमें वे किसी पक्ष को पूर्णतः सन्तुष्ट नहीं कर पायेंगे। सीमांकन के लिए नियुक्त रैडक्लिफ कमीशन में भारत की ओर से सरदार पटेल तथा पाकिस्तान की ओर से जिन्ना अपना पक्ष रखने के लिए अधिकृत किये गये।

रैडक्लिफ को भौगोलिक एवं वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी नहीं थी। उनको इस कार्य के लिए जो नक्शे दिये गये थे वे अधूरे थे तथा उपलब्ध कराये गये, साधन अपर्याप्त थे तथा विभाजन चन्द हफ्तों में करना था यानी समय भी अपर्याप्त था। अतएव स्वाभाविक था कि ऐसी परिस्थितियों में खींची जाने वाली विभाजन रेखा को लेकर रैडक्लिफ कठिनाइयों में थे। रैडक्लिफ कलकत्ता को लेकर भारी उलझन में थे क्योंकि जिन्ना ने उस पर दावा ठोंका था। आर्थिक रूप से सहमत होने के बावजूद बहुसंख्यक हिन्दुओं की आबादी के कारण रैडक्लिफ ने उसे भारत में ही रहने दिया। बंगाल विभाजन रेखा दोनों राष्ट्रों के लिए समान रूप से आर्थिक विनाश का पर्याय थी। विश्व का 85 जूट उत्पादन वाला भू भाग पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। भारत के हिस्से में जूट का सामान बनान वाले 100 से भी अधिक कारखाने आये पर जूट की फसल उगाने वाला एक भी खेत न था और जूट का सामान निर्यात करने वाला कलकत्ता बंदरगाह भी भारत के हिस्से में आया। वायसराय के आदेशानुसार दोनों राष्ट्र स्वतंत्रता समाराहों तक इस विभाज को गुप्त रखा। इसके अलावा जल्दबाजी में किये गये इस विभाजन से

पंजाब में अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गयी। वहाँ के कुछ घर बीचोबीच से विभाजित हो गये जैसे कुछ घरों का दरवाजा भारत में खुलता था तो छत पाकिस्तान में थी फलतः खिड़कियाँ और बरसात में छतों का पानी पाकिस्तान में गिरता था। एक ही गाँव के कुछ घर पाकिस्तान में चले गये तो कुछ भारत में आ गये। जल्दबाजी में किये गये इस विभाजन में अनेक त्रुटियाँ थीं फिर भी दोनों ने इस विभाजन को स्वीकार कर लिया। सर रैडक्लिफ विभाजन के उपरान्त त्रासदी के लिए उत्तरदायी थे पर अनिच्छा से क्योंकि उन्होंने अन्त में कहा कि – ''जैसा कि मुझे आभास हो गया था जल्दबाजी से खिंची इस विभाजन रेखा से उत्तर भारत रक्त रंजित हो उठा था।''[13]

इस प्रकार इस अनियोजित विभाजन के परिणामस्वरूप पंजाब में भीषण दंगा हो गया। एक अनुमान के मुताबिक करीब 5 लाख निर्दोष लोग इस दंगे में मारे गये और अपार सम्पत्ति का विनाश हुआ। अतएव जब यह देखा गया कि दोनों राष्ट्रों के अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं रह सकते थे तो जनसंख्या के अदला बदली का प्रस्ताव किया गया। इस प्रकार लगभग एक करोड़ जनसंख्या की अदला–बदली की गयी।

इस समय भारतीय मुसलमानों का पाकिस्तान जाने का मार्ग अमृतसर ही था किन्तु अमृतसर के सिख पाकिस्तान में मुसलमानों द्वारा किये गये सिखों पर अत्याचार, सामूहिक हत्याकांड और स्त्रियों के अपमान से इतना क्षुब्ध थे कि उन्होंने स्पष्ट घोषणा की अमृतसर से किसी मुसलमान को जीवित नहीं जाने दिया जायेगा। अतएव मुसलमानों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने की जिम्मेदारी थल सेनाध्यक्ष तिमैया को सौंपी गी। इस समस्या के समाधान के लिए सरदार पटेल स्वयं मेनन के साथ अमृतसर गये और सिखों को समझा बुझाकर मुसलमानों को पाकिस्तान जाने का मार्ग प्रशस्त किया। 30 सितम्बर, 1947 ई0 का अमृतसर में सिख नेताओं को सम्बोधित करते हुए सरदार पटेल ने कहा कि–

''मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप कम से कम एक सप्ताह के लिए आक्रमणों के इस व्यापक प्रसार को रोक दें और फिर देखें कि क्या इसका उत्तर सन्तोषजनक मिलता है की नहीं यदि आपको निराश होना पड़ा, तो इस बात को सारा संसार जान जायेगा कि वास्तविक अपराधी कौन है।''[14]

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अखण्ड भारत के स्वप्न दृष्टा सरदार पटेल अन्तरिम मन्त्रिमण्डल में मुस्लिम लीग के द्वारा सरकार के कार्यो में बार–बार बाधा उत्पन्न करने से एवं मुसलमानों के बीच लीग के बढ़ते प्रभाव के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से लीग की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के कारण सरदार को यह दृढ़ विश्वास हो गया कि यदि समय रहते इसका उपचार नहीं किया गया तो भारत कई टुकड़ों में बंट जायेगा। अतः उन्होंने कई टुकड़ों के स्थान पर भारत के दो टुकड़े होना स्वीकार किया तथा इसके लिए गांधी जी को भी तैयार किया। देश विभाजन के उपरान्त सरदार पटेल ने हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच साम्प्रदायिक दंगों को रोकने हेतु जान की परवाह किये बगैर अमृतसर का दौरा कर मुसलमानों को पाकिस्तान जाने का सुरक्षित सस्ता मुहैया कराने का कार्य किया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. दि इंडियन एन्युअल रजिस्टर, खण्ड–एक, 1942, पृ0 142–143
2. बेटेन, लार्ड माउण्ट, पिल लाइफ ऑफ टाइम्स, ब्रिटेन, 1960 पृ0 152
3. भारत की एकता का निर्माण, सरदार पटेल के भाषण (1947 से 1950 तक) प्रकाशन विभाग दिल्ली, 1970, पृ0 103
4. मुंशी, के0एम0, इंडियन कान्सीट्युशनल डाकूमेन्ट्रस, वाल्यूम–I बम्बई, 1967, पृ0 126
5. मुंशी, के0एम0, इंडियन कान्सीट्युशनल डाकूमेन्ट्रस, वाल्यूम–I बम्बई, 1967, पृ0 126–127
6. आजाद, मौलाना, आजादी की कहानी, कलकत्ता, 1965, पृ0 204–205
7. मेहरोत्रा एवं कपूर, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एवं विचार, दिल्ली, 1997, पृ0 132
8. पटेल, राव जी भाई म0, हिन्द के सरदार, अहमदाबाद, 1994, पृ0 205
9. मेहरोत्रा एंव कपूर, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एवं विचार, दिल्ली 1997, पृ0 134
10. मुंशी के0एम0, इंडियन कान्सीट्यूशनल डाकूमेण्ट्स, वाल्यम 1, बम्बई, 1967, पृ0 131
11. मेहरोत्रा एवं कपूर पूर्वो, पृ0 134
12. मुंशी, के0एम0, पूर्वो, पृ0 132
13. पटेल, दिलावर सिंह जैसवार, नवोदित भारत के निर्माता सरदार पटेल, नयी दिल्ली, 2000 पृ0 233
14. शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल, नयी दिल्ली, 1963, पृ0 205